Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप. 1(16)साप्र/ग्रुप–5 09 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 23-7-2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.06.2013 के अधिक्रमण में राज्य में स्थित समस्त विश्राम भवनों, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में रोजमर्रा की टूट–फूट, रंग–रोगन , रख–रखाव से संबंधित कार्यों को कराने बाबत निम्न शर्तो के अध्यधीन सहमति दी जाती है:–

1. पूर्व में मैनेजर के स्तर से किये जाने वाले व्यय की अधिकृत राशि रूपये 1500/– प्रतिकक्ष प्रतिवर्ष को बढ़ाकर राशि रूपये 3500/–(अक्षरे तीन हजार पॉच सौ रूपये) की सीमा तक प्रतिकक्ष प्रतिवर्ष की जाती है ।

2. समस्त प्रबन्धकों द्वारा प्रत्येक माह Actual requirement से वरिष्ठ लेखाधिकारी,साप्रवि (ग्रुप–4) को अवगत कराया जावें तथा तदानुसार विभाग द्वारा आवश्यक/वास्तविक स्थिति के अनुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने पर ही ये कार्य करवाये जाने की सहमति दी जावेगी ।

3. आदेश दिनांक 3.6.2013 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी ।

उक्त स्वीकृति वित्त(व्यय–2)विभाग के आई.डी. सं.101303269 दिनांक 22.7.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव,वित्त(व्यय–2)विभाग को उनके उपरोक्त संदर्भ में ।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस / जोधपुर हाउस, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
3. प्रबन्धक,समस्त विश्राम भवन, राजस्थान ।
4. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर ।
5. सामान्य प्रशासन(ग्रुप–4)विभाग को वित्त(व्यय–2)विभाग की टिप्पणी के साथ ।
6. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव